Date 24-02-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/21 धारा 147/148/149/323/504/307/324/506 भादवि से संबंधित 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.02.21 को वादी श्री ताराचन्द पुत्र भारत सिंह सैनी निवासी मौ0 आचारजान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया कि मेरा पुत्र पवन व उसके अन्य साथी राजेश, शिवम, सुशील, सोनू, बलचरन, अजय व आकाश खो नदी के तट पर शौच करने व टहलने के लिये गये थे। खो नदी के तट पर मौजूद अब्दुल्ला पुत्र बुन्दू व उसके साथियों यासीन, फुरकान, कमाल, बबलू, अब्दुल्ला, रिजवान, मौ0 सादान, फैसल द्वारा शौच करने व टहलने को लेकर पवन व उसके साथियो पर गाली गलौच करते हुये लाठी, डन्डो व धारदार हथियार से वार कर दिया। जिससे पवन व उसके साथियों को चोटें आयी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर अब्दुल्ला आदि कुल 07 नफर उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 19/21 धारा 147/148/149/323/504/307/324/506 भादवि का पंजीकृत कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा तत्काल घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी शेरकोट को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना प्रभारी शेरकोट द्वारा नामजद 07 अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा नामजद अभियुक्त कमाल पुत्र सलाउद्दीन से घटना में प्रयुक्त नाजायज चाकू भी बरामद हुया। जिस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 20/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- मौ0 सादान पुत्र मौ0 तहसीन नि0 मौ0 मछली बाजार कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर 2- फैसल पुत्र लियाकत हुसैन नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1- अब्दुल्ला पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
2- यासीन पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
3- फुरकान पुत्र इब्राहिम नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
4- कमाल पुत्र सलाउद्दीन नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
5- बबलू पुत्र रफीक नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
6- रिजवान पुत्र लियाकत नि0मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
7- अब्दुल्ला पुत्र शफीक नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
8- मौ0 सादान पुत्र मौ0 तहसीन नि0 मौ0 मछली बाजार कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर
9- फैसल पुत्र लियाकत हुसैन नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण

01 – 06 डण्डे यू0के0 लिप्टिस के

02- 01 अदद छूरी नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

श्री अनुज कुमार तोमर थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर, उ0नि0 श्री हरीश कुमार, का0 862 सुजीत कुमार, का0 467 प्रशान्त कुमार, का0 1532 उमेश कुमार

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 04 शातिर चोरो को चोरी की 03 मोटरसाईकिल, 01 स्कूटी व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना के नेतृत्व में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दिनांक 23.02.2021 को उ0नि0 रामवीर सिंह व हमराही कर्मचारीगण द्वारा रायपुर से कोटद्वार की ओर जाने वाली सडक पर पुलिया के पास शाम 17.15 बजे मुखबिर की सूचना पर कोटकादर की ओर से आ रहे अभियुक्तगण 1- दानिश पुत्र मौ0 सेवन 2- असजद पुत्र शाकिर 3- हैदर पुत्र मोहम्मद अली 4- खुर्शीद पुत्र शब्बीर उर्फ भोले को चोरी की 03 मोटर साईकिल , एक स्कूटी व 03 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 34/2021 धारा 413/414/420/465 भादवि बनाम दानिश, असजद, हैदर, खुर्शीद उपरोक्त । मु0अ0सं0 35/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दानिश उपरोक्त । मु0अ0सं0 36/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट असजद उपरोक्त । मु0अ0सं0 37/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट हैदर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। उपरोक्त अभियुक्तगण चौरी, छिनैती आदि विविध प्रकार के अपराधों में लिप्त रहे है। इनका कार्य क्षेत्र बिजनौर, मुरादाबाद व उत्तराखण्ड में मसूरी, कोटद्वार आदि है। इनके द्वारा वाहन चोरी आदि के कई अपराध कारित किये गये है।

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम चारो लोगो नें आपस में मिलकर चोरी करने का एक गैंग बना रखा है। हम चारो मिलकर वाहन चोरी करते है और उनको बेच देते है। इसी से हमारी आजीविका चलती है। यह अपाचे मोटरसाईकिल हम चारो ने मिलकर मसूरी उत्तराखण्ड से चोरी की थी तथा पकडे जाने के डर से असली नम्बर प्लेट हटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगा देते है तथा यह स्कूटी भी हम चारो ने मिलकर कोटद्वार उत्तराखण्ड से चुराई थी। इसके अलावा भी हमने कई वाहन चोरी किये है। जिसमें हम पहले भी जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1- दानिश पुत्र मौ0 सेवन नि0 ग्राम उब्बनवाला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

2- असजद पुत्र शाकिर नि0 रज्जो का चौराहा मौ0 मजीदगंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

3- हैदर पुत्र मोहम्मद अली नि0 ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जिला बिजनौर

4- खुर्शीद पुत्र शब्बीर उर्फ भोले नि0 मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद मो0सा0 अपाचे सफेद रंग चैसिस न0 MD634BE40H2G03017 तथा इंजन न0 BE4GH2103353 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UK07BD8868 लगी है

2. एक अदद नीले रंग की होण्डा एक्टिवा स्कूटी चैसिस न0 ME4JF507CHD110661 तथा इंजन न0 JF50ET5094786 रजिस्ट्रेशन न0 UK15A5373

3.बजाज डिस्कवर रंग काला रजिस्ट्रेशन न0 UK11 1568 लिखा है चैसिस न0 MD2DSJNZZRCA04737 व इंजन न0 JNBRA24971

4.मो0सा0 बजाज सीटी 100 लाल रंग जिसकी नम्बर प्लेट पर CH03U3385 अंकित है व चैसिस न0 DUFCMG13917 व इंजन न0 DUMBMG14241

5. 03 अदद चाकू

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

आपराधिक इतिहास दानिश उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 404/17 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 108/17 धारा 379/411 भादवि थाना मंडावली बिजनौर
3. मु0अ0सं0 145/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 606/18 धारा 452/232/324/504/506/354 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 167/18 धारा 379/411 भादवि थाना मंडावली बिजनौर
6. मु0अ0सं0 168/18 धारा 3/25 A ACT भादवि थाना मंडावली बिजनौर
7. मु0अ0सं0 101/18 धारा 394 भादवि थाना नांगल बिजनौर

8 मु0अ0सं0 152/18 धारा 307/394 भादवि थाना नांगल बिजनौर

9. मु0अ0सं0 275/19 धारा 302/120बी भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 287/19 धारा 3/25 A ACT भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 34/21 धारा 413/414/420/465 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
12. मु0अ0सं0 35/21 धारा 4/25 A ACT थाना नगीना देहात बिजनौर

आपराधिक इतिहास असजद उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 101/18 धारा 394 भादवि थाना नांगल बिजनौर
2. मु0अ0सं0 152/18 धारा 307/394 भादवि थाना नांगल बिजनौर
3. मु0अ0सं0 34/21 धारा 413/414/420/465 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
4. मु0अ0सं0 36/21 धारा 4/25 A ACT थाना नगीना देहात बिजनौर

आपराधिक इतिहास हैदर उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 34/21 धारा 413/414/420/465 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर
2. मु0अ0सं0 37/21 धारा 4/25 A ACT थाना नगीना देहात बिजनौर

आपराधिक इतिहास खुर्शीद उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 275/19 धारा 302/120बी भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 34/21 धारा 413/414/420/465 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम का विवरण –

1- उदयप्रताप थानाध्यक्ष नगीना देहात 2- उ0नि0 रामवीर सिंह 3- का0 760 वरुण 4- का0 740 विपिन 5- का0 241 सुमित कुमार 6- का0 2043 रोहित चौधरी 7- का0 256 धर्मेन्द्र सिंह 8- का0 1553 अखिलेश शर्मा

थाना हीमपुर दीपा:— थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 339 / 17 धारा 376 आईपीसी बनाम आदिल के वारंटी सुल्तान अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी नसीरपुर शेख थाना हीमपुर दीपा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक 24-02-2021

आज दिनांक **24.02.2021** को कोतवाली शहर व महिला थाने की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।

आज दिनांक **24.02.2021** को थाना नांगल की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा**,** सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये **"**मिशन शक्ति**"** के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र के आरबीएस इंटर कॉलेज नांगल में छात्राओं को कराटे का कैंप लगवा कर अभ्यास कराया गया तथा हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।

आज दिनांक **24.02.2021** को थाना प्रभारी कोतवाली देहात द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा**,** सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये **"**मिशन शक्ति**"** के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र के स्कूल में छात्राओ को जागरुक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।